

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :-उमर दीन खान,
आई.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या :-16/2020

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू।

-बनाम-

मुबारिक हुसैन पुत्र फारुख रंगरेज, जाति लीलगर, निवासी वार्ड नम्बर 12 इस्लामपुर पुलिस थाना बगड
जिला झुंझुनू।

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 खण्ड (ख)(5)
राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

उपस्थिति :-

1. सरकार की ओर से :-श्री सहायक लोक अभियोजक (प्रथम)
2. गैर सायल की ओर से :- स्वयं

-निर्णय-

दिनांक 18.11.2020

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू ने दिनांक 06.10.2020 को गैर सायल मुबारिक हुसैन पुत्र फारुख रंगरेज, जाति लीलगर, निवासी वार्ड नम्बर 12 इस्लामपुर पुलिस थाना बगड जिला झुंझुनूके खिलाफ इस्तगासा पेश किया कि मुबारिक हुसैन पुत्र फारुख रंगरेज, जाति लीलगर, निवासी वार्ड नम्बर 12 इस्लामपुर पुलिस थाना बगड जिला झुंझुनू का रहने वाला है जो एक अपराधिक मनोवृत्ति का व्यक्ति तथा अब्बल दर्जे का आदतन जुआरी है तथा यह अवैध जुआ के कारोबार में युवा पीढी को धकेल रहा है इसका जुआ का कारोबार लगातार बढ़ रहा है। इसके डर के कारण कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ थाने पर इसकी गतिविधियों की सूचना देने के रिपोर्ट दर्ज कराने से कतराता है तथा ना कोई व्यक्ति इसके विरुद्ध गवाही देने के लिए तैयार होता है तथा समाज में इसका भय है। गैरसायल मुबारिक हुसैन कस्बा इस्लामपुर में गैंग बनाकर जुआ सट्टा का अपराध करता है। उक्त गैरसायल के कृत्य अभी भी मौका लगने पर जारी है। इसकी इस प्रकार की गतिविधियों से युवा पीढी व समाज में विपरीत असर पड रहा है सुवा पीढी को अवैध जुआ के कारोबार की तरफ खींचता ले जा रहा है। युवा पीढी जुआ में हार होने की स्थिति में अन्य आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। गैरसायल उपरोक्त के विरुद्ध जुआ खेलने के संबंध में 07 अभियोग दर्ज है। इसके जिले की सीमाओं में रहने से आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा तथा अपने कृत्यों को लगातार अंजाम देगा। ऐसीस्थिति में उक्त गतिविधियों पर लगाम रखने के लिए सख्त से सख्त कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। उक्त शख्स द्वारा किये गये अपराधों में माननीय न्यायालय द्वारा सजा किये गये अपराधों का विवरण निम्नासार है:-

1. अभियोग संख्या 04/17 दिनांक 04.01.2017 धारा 13 आरपीजीओ अधि0 थाना बगड में पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 06/17 दिनांक 20.01.2017 को न्यायालय में पेश किया गया जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 23.01.17 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए 200 रुपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।
2. अभियोग संख्या 21/17 दिनांक 18.01.2017 धारा 13 आरपीजीओ अधि0 थाना बगड में पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 09/17 दिनांक 27.01.2017 को न्यायालय में पेश किया गया जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 03.02.17 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए 200 रुपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।
3. अभियोग संख्या 35/17 दिनांक 11.02.2017 धारा 13 आरपीजीओ अधि0 थाना बगड में पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 20/17 दिनांक 18.02.2017 को न्यायालय में पेश किया गया जिसमें बाद

District Magistrate
JHUNJHUNU

- अन्वीक्षा माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27.02.17 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए 50 रुपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।
- 4. अभियोग संख्या 102/17 दिनांक 28.04.2017 धारा 13 आरपीजीओ अधि० थाना बगड में पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 66/17 दिनांक 06.05.2017 को न्यायालय में पेश किया गया जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 15.05.17 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए 200 रुपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।
- 5. अभियोग संख्या 184/17 दिनांक 09.09.2017 धारा 13 आरपीजीओ अधि० थाना बगड में पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 135/17 दिनांक 22.09.2017 को न्यायालय में पेश किया गया जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 25.09.17 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए 100 रुपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।
- 6. अभियोग संख्या 193/17 दिनांक 17.09.2017 धारा 13 आरपीजीओ अधि० थाना बगड में पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 136/17 दिनांक 25.09.2017 को न्यायालय में पेश किया गया जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27.09.17 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए 100 रुपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।
- 7. अभियोग संख्या 185/18 दिनांक 10.09.2018 धारा 13 आरपीजीओ अधि० थाना बगड में पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 141/18 दिनांक 19.09.2018 को न्यायालय में पेश किया गया जो विचाराधीन न्यायालय है।

इस प्रकार उक्त मुबारिक हुसैन पुत्र फारूख रंगरेज, जाति लीलगर, निवासी वार्ड नम्बर 12 इस्लामपुर पुलिस थाना बगड जिला झुंझुनूं का यह कृत्य राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3/2 के खण्ड (ख) उपखण्ड (5) की परिभाषा में पूर्ण रूप से आता है, जिसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावें।

इस्तगासा पेश होने पर गैर सायल को उसके खिलाफ लगाये आरोपों की सूचना को नोटिस देकर तलब किया गया तथा दिनांक 03.11.2020 को गैरसालय ने न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर उक्त कृत्यों को स्वीकार किया तथा अधिवक्ता नियुक्त नहीं करना चाहा।

बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान एपीपी-1 ने बताया कि गैर सायल के खिलाफ पुलिस थाना बगड, जिला झुंझुनूं में निम्न अभियोग दर्ज होकर न्यायालय में चालान पेश किये गये हैं-

1. अभियोग संख्या 04/17 दिनांक 04.01.2017 धारा 13 आरपीजीओ अधि० थाना बगड में पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 06/17 दिनांक 20.01.2017 को न्यायालय में पेश किया गया जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 23.01.17 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए 200 रुपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।
2. अभियोग संख्या 21/17 दिनांक 18.01.2017 धारा 13 आरपीजीओ अधि० थाना बगड में पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 09/17 दिनांक 27.01.2017 को न्यायालय में पेश किया गया जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 03.02.17 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए 200 रुपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।
3. अभियोग संख्या 35/17 दिनांक 11.02.2017 धारा 13 आरपीजीओ अधि० थाना बगड में पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 20/17 दिनांक 18.02.2017 को न्यायालय में पेश किया गया जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27.02.17 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए 50 रुपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।
4. अभियोग संख्या 102/17 दिनांक 28.04.2017 धारा 13 आरपीजीओ अधि० थाना बगड में पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 66/17 दिनांक 06.05.2017 को न्यायालय में पेश किया गया जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 15.05.17 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए 200 रुपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।
5. अभियोग संख्या 184/17 दिनांक 09.09.2017 धारा 13 आरपीजीओ अधि० थाना बगड में पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 135/17 दिनांक 22.09.2017 को न्यायालय में पेश किया गया जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 25.09.17 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए 100 रुपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।


 District Magistrate
 JHUNJHUNU

6. अभियोग संख्या 193/17 दिनांक 17.09.2017 धारा 13 आरपीजीओ अधि० थाना बगड में पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 136/17 दिनांक 25.09.2017 को न्यायालय में पेश किया गया जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27.09.17 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए 100 रुपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।
7. अभियोग संख्या 185/18 दिनांक 10.09.2018 धारा 13 आरपीजीओ अधि० थाना बगड में पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 141/18 दिनांक 19.09.2018 को न्यायालय में पेश किया गया जो विचाराधीन न्यायालय है।

इस प्रकार गैर सायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधि० 1975 की धारा 2 खण्ड (ख) के उपखण्ड (5) में अंकित धारा के अधीन 6 बार दोषसिद्ध होने व 1 प्रकरण विचाराधीन होने के कारण गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसे झुंझुनू जिले से निष्कासित किया जावे।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस विद्वान एपीपी-1 पर ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात/साक्ष्य के मुताबिक गैरसायल के खिलाफ पुलिस थाना बगड जिला झुंझुनू में अभियोग संख्या 04/17 दिनांक 04.01.2017 धारा 13 आरपीजीओ अधि०, अभियोग संख्या 21/17 दिनांक 18.01.2017 धारा 13 आरपीजीओ अधि०, अभियोग संख्या 35/17 दिनांक 11.02.2017 धारा 13 आरपीजीओ अधि०, अभियोग संख्या 102/17 दिनांक 28.04.2017 धारा 13 आरपीजीओ अधि०, अभियोग संख्या 184/17 दिनांक 09.09.2017 धारा 13 आरपीजीओ अधि०, अभियोग संख्या 193/17 दिनांक 17.09.2017 धारा 13 आरपीजीओ अधि० एवं अभियोग संख्या 185/18 दिनांक 10.09.2018 धारा 13 आरपीजीओ अधि० में पुलिस थाना बगड जिला झुंझुनू में दर्ज हुई थी, जिसकी प्रमाणित प्रति प्रस्तुत हुई है। इसकी चार्जशीट न्यायालय में पेश हुई थी। जिनमें माननीय न्यायालय द्वारा गैरसायल मुबारिक को दोषी मानकर परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 के तहत कमशः 200, 200, 50, 200, 100, 100 रुपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया गया है। गैर सायल शिम्भू राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 के अन्तर्गत 7 बार अपराध करने के कारण गुण्डा की परिभाषा में आता है। साथ ही गैरसायल स्वयं ने उपस्थित होकर उक्त समस्त कृत्यों को स्वीकार किया है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/सबूत को दृष्टिगत रखते हुए मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि गैरसायल यदि इस जिले में बना रहता है तो वह ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति में पुनः लगकर युवा पीढी को ऐसी सामाजिक बुराई के अपराध में संलिप्त कर उन्हें दिशा भ्रमित कर सामाजिक व्यवस्था को भंग कर सकता है तथा आम जन की जान माल को नुकसान हो सकता है। ऐसी स्थिति में गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3 (ख) (ii) में अंकित विश्वास के कारणों के कारण गैरसायल को इस जिले से निष्कासित करना न्यायोचित व आवश्यक समझता हूँ।

अतः मुबारिक हुसैन पुत्र फारूख रंगरेज, जाति लीलगर, निवासी वार्ड नम्बर 12 इस्लामपुर पुलिस थाना बगड जिला झुंझुनू को राज० गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(ख) (ii) के तहत 1 माह की अवधि के लिए झुंझुनू जिले की सम्पूर्ण सीमा से निष्कासित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त एक माह की अवधि में गैर सायल कोतवाली चुरु क्षेत्र में रहेगा तथा वह प्रतिदिन कोतवाली में उपस्थिति दर्ज करवायेगा तथा थाना कोतवाली चुरु इसकी लगातार सूचना पुलिस थाना बगड जिला झुंझुनू को देंगे तथा थानाधिकारी थाना बगड, जिला झुंझुनू गैर सायल की गतिविधियों बाबत पाक्षिक सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। इस दौरान गैर सायल ऐसे अपराध एवं अन्य असमाजिक गतिविधियों में शामिल नहीं रहेगा। यह निर्णय दिनांक 18.11.2020 के पश्चात 07 दिवस के बाद से प्रभावी होगा। निर्णय की प्रति पुलिस अधीक्षक झुंझुनू को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमिल जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उमर दीन खान)
जिला मजिस्ट्रेट,
झुंझुनू
District Magistrate
JHUNSRUNU